



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124457

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 17685 वर्ष 2026

बाल किशनआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : सत्य नारायण यादव

विपक्षी के अधिवक्ता : आनंद मोहन, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय अनिल कुमार-एक्स, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्य नारायण यादव, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद मोहन और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अमृत राज को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से पुलिस थाना- शिकोहाबाद, जिला- फिरोजाबाद में मु.अ.सं. (मुकदमा अपराध संख्या) 163 वर्ष 2026, बी.एन.एस. की धारा 109(1), 191(2), 115(2), 324(5), 352, 351(3) के तहत विचारण के लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक सूचनाकर्ता की पुत्री का ससुर है। सूचनाकर्ता की पुत्री और आवेदक के पुत्र के बीच कुछ समय से वैवाहिक विवाद चल रहा है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि कुछ पारिवारिक विवाद होने के बाद सूचनाकर्ता की पुत्री ने अपने पिता को बुलाया। यह भी आरोप लगाया गया है कि उसके बाद सूचनाकर्ता की पुत्री के ससुराल वालों ने सूचनाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पक्षकारों के बीच झगड़ा पक्षकारों के बीच वैवाहिक विवाद के कारण हुआ। आवेदक सूचनाकर्ता की पुत्री का ससुर है और उसे घटना में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। अतः, यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। आवेदक 13.04.2026 से जेल में बंद है। यह तर्क दिया गया कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
5. विद्वान ए.जी.ए. के साथ-साथ सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चोट की रिपोर्ट के साथ-साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप विशिष्ट हैं क्योंकि सूचनाकर्ता के भतीजे के सिर में अस्थिभंग (हड्डी टूटने की चोट) हुआ है। इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा सूचनाकर्ता के वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। सूचनाकर्ता और अन्य गवाहों ने अपने बयानों में आवेदक की विशिष्ट भूमिका का खुलासा किया है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि दोनों पक्षकार अपने बच्चों के बीच विवाह के फलस्वरूप एक-दूसरे से संबंधित हैं। सूचनाकर्ता की पुत्री का विवाह आवेदक के पुत्र से हुआ था।
8. मामले की परिस्थितियों में, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक, जो 13.04.2026 से जेल में बंद है, जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद, और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक सूचनाकर्ता की पुत्री का ससुर है, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- बाल किशन को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए, एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए कि:-

(i). आवेदक जांच या विचारण के दौरान गवाहों को डराकर/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii). आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii). आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध के घटित होने में शामिल नहीं होगा।

11. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय को आरोपी की उपस्थिति के लिए उचित बाध्यकारी कार्रवाई करने या दी गई जमानत को रद्द करने की स्वतंत्रता होगी। बंधपत्रों को स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

(अनिल कुमार-एक्स, न्यायमूर्ति)

जून 1, 2026

नीतू

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"